

शरणार्थियों द्वारा अनुच्छेद 35 A के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में अपील

चर्चा में क्यों?

हाल ही में पश्चिमी पाकिस्तान के कुछ शरणार्थियों (जो विभाजन के दौरान भारत चले आए थे) द्वारा जम्मू और कश्मीर के स्थायी नवासियों के विशेष अधिकारों और विशेष रियायतों से संबंधित संविधान के अनुच्छेद 35 A को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गई है।

मुद्दा क्या है?

- वर्ष 1947 में देश के विभाजन के बाद कथुआ, सांबा और जम्मू ज़िलों (उस समय के पश्चिमी पाकिस्तान) में रहने वाले तकरीबन 1.25 लाख लोग अपना घर छोड़ कर भारत चले आए थे।
- पछिले सत्तर सालों से इन शरणार्थियों द्वारा नागरिकता, रोज़गार के अधिकार, मताधिकार तथा राज्य विधानसभा में चुनाव लड़ने के अधिकार की मांग की जा रही है।
- आधिकारिक आँकड़ों के मुताबिक 1947 में 5,764 परिवारों के तकरीबन 47,915 लोग पश्चिमी पाकिस्तान से जम्मू-कश्मीर राज्य के तीन ज़िलों में आकर बस गए थे। वर्तमान में इनकी आबादी लगभग 1.25 लाख तक पहुँच गई है।
- ध्यातव्य है कि इन शरणार्थियों को अभी तक राज्य के स्थायी नवासियों के रूप में पहचान नहीं मलि पाई है, न तो इन्हें विधानसभा चुनावों में वोट देने का अधिकार प्राप्त है और न ही ये राज्य सरकार की नौकरी ही प्राप्त कर सकते हैं। यह और बात है किये लोग कई पीढ़ियों से इस राज्य के नवासियों के तौर पर रह रहे हैं। हालाँकि इन्हें संसदीय चुनावों में वोट देने का अधिकार प्राप्त है।

अनुच्छेद 35 A क्या है?

- भारतीय संविधान के परशिषिट 2 में नहिति अनुच्छेद 35 A जम्मू-कश्मीर विधानमंडल को यह शक्ति प्रदान करता है कि वह राज्य के स्थायी नवासियों और उनके विशेष अधिकारों व विशेषाधिकारों को परभाषति कर सकती है।
- इसे वर्ष 1954 में जम्मू-कश्मीर सरकार की सहमति के साथ राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद के आदेश से संविधान में जोड़ा गया था।

अनुच्छेद 35 A में नहिति प्रावधान कौन-कौन से हैं?

- अनुच्छेद 35 A में नहिति प्रावधानों के अनुसार, वर्ष 1911 से पूर्व राज्य में जन्मे या इससे कम से कम 10 वर्ष पूर्व यहाँ कानूनी रूप से अचल संपत्ति के मालिक सभी व्यक्तियों को राज्य के नागरिक के रूप में स्वीकार कथिा जाएगा।
- इसके अतरिकित वे सभी प्रवासी व्यक्ता जिन्होंने पाकिस्तान में प्रवास कर लथिा है वे सभी राज्य का वषिय होंगे। इतना ही नहीं इन प्रवासियों की आने वाली दो पीढ़ियों को भी राज्य के वषिय के रूप में सूचीबद्ध कथिा जाएगा।
- स्थायी नवासी कानून के अंतरगत अस्थायी नवासियों को राज्य में स्थायी बसतियों का निर्माण करने, अचल संपत्ति खरीदने, सरकारी नौकरी करने और छात्रवृत्ति प्राप्त करने से प्रतबिंधति कथिा गया है।
- ऐसा ही प्रावधान जम्मू-कश्मीर की महिलाओं के वरिद्ध भी कथिा गया है। यदिकोई महिला अस्थायी नवासियों के साथ वविाह करती है तो इस कानून के तहत वह राज्य द्वारा प्रदत्त अधिकारों से वंचति हो जाती है।
- परन्तु, अक्टूबर 2002 में अपने एक नरिणय में जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय द्वारा यह स्पष्ट कथिा गया कि जो महिलाएँ अस्थायी नवासियों से वविाह करती हैं उन्हें उनके अधिकारों से वंचति नहीं कथिा जाएगा। हालाँकि, ऐसी महिला के बच्चों को उक्त संपत्ति के संबंध में उत्तराधिकार प्राप्त नहीं होगा।

इस संबंध में प्रमुख चतिाएँ क्या-क्या हैं?

भारतीय संविधान से अनुच्छेद 35 A को हटाने का प्रयास बहुत सी गंभीर चतिाओं को जन्म देगा। यदिएसा कथिा जाता है तो राज्य के राष्ट्रवादियों को इससे एक बड़ा झटका लगेगा। क्योंकि बहुत से लोगों की राजनीति का मुख्य आधार यह अनुच्छेद ही है। यह अनुच्छेद भारतीय नागरिकों के मूलभूत अधिकारों को सीमति करता है। इस अनुच्छेद के संबंध में गंभीरता से वचिार करने पर ज्ञात होता है कि यह प्रावधान सैद्धांतिक रूप से कतिना अप्रासंगिक है तथा यह कतिनी मान्यताओं का उल्लंघन करता है। अनुच्छेद 35 A नागरिकों के मौलिक अधिकारों को नगण्य तो करता ही है साथ ही यह नैसर्गिक अधिकारों का भी वरिोध करता है। इसको लागू करने की पद्धति भी अलोकतांत्रिक है।

